

प्रारूप सं. 10 एफ

[नियम 21 ए बी का उप-नियम(1) देखें]

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 की उपधारा (5) या धारा 90ए की
उपधारा (5) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सूचना**

मैंपुत्र/पुत्री श्रीकी हैसियत से(पदनाम) धारा 90 की
उपधारा (5)/धारा 90ए के प्रयोजनार्थ मेरे मामले में/.....के मामले में पिछले वर्ष से सुसंगत निम्नलिखित
सूचना प्रदान करता हूँ:

क्र.सं.	सूचना की प्रकृति	विवरण#
(i)	करदाता की स्थिति (व्यक्तिगत; कंपनी, फर्म आदि)	
(ii)	यदि आवंटित हो तो करदाता का स्थायी खाता संख्या (पैन)	
(iii)	राष्ट्रीयता (किसी व्यक्ति के मामले में) या निगमन या पंजीकरण का देश या निर्दिष्ट क्षेत्र (अन्य के मामले में)	
(iv)	देश या निवास के निर्दिष्ट क्षेत्र में करदाता की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो एक विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस व्यक्ति की पहचान उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा की जाती है जिसका करदाता निवासी होने का दावा करता है।	
(v)	वह अवधि जिसके लिए धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90ए की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र में उल्लिखित आवासीय स्थिति लागू होती है	
(vi)	उस अवधि के दौरान भारत के बाहर देश या क्षेत्र में करदाता का पता जिसके लिए ऊपर (v) में उल्लिखित प्रमाण पत्र लागू है।	

2. मैंने(भारत से बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का नाम) की सरकार से धारा 90 ए की उपधारा (4) में धारा 90 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

स्थायी खाता संख्या :

सत्यापन

मैं, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर जो कुछ भी कहा गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है।

आज को सत्यापित किया गया।

सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

नोट :

1. * हटाए जो भी लागू नहीं है।
2. #यदि सुसंगत सूचना धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90ए की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र का भाग है तो लागू नहीं लिखें।